

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में “परिवार कल्याण कर्मकार” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर  
सार्वजनिक सूचना

2- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एवी. 14017/61/2008-  
स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में “परिवार कल्याण कर्मकार” के पद के लिए  
भर्ती नियम संलग्न है।

3. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव] भर्ती नियमों  
के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं  
405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में  
भेज सकते हैं या [medicalhospital61@gmail.com](mailto:medicalhospital61@gmail.com) पर ई मेल कर सकते हैं।-

(गणेश कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली  
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2023

सा.का.नि. ...- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली(परिवार कल्याण कर्मकार), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्य किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में परिवार कल्याण कर्मकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, परिवार कल्याण कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता:** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवार कल्याण कर्मकार	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसंचितीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन	<p>18 से 25 वर्ष के बीच</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य- क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।</p>

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>अनिवार्य:</u> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ख) सरकारी अस्पताल या नर्सिंग होम या प्रसूति केंद्र में परिवार नियोजन परामर्श में एक वर्ष का अनुभव।</p>	आयु: नहीं अहंता: हाँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
<u>वांछनीय:</u> <p>अंग्रेजी और हिन्दी का ज्ञान रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कंप्यूटरों का कामकाजी ज्ञान हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 1: अहंताएँ अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अहंताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> सफदरजंग अस्पताल के बहुकार्य वृद्धि या समकक्ष पद जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900/- रुपये) में नियमित आधार पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।</p>	<p>समूह -‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल</li> <li>(2) संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली</li> <li>(3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन</li> <li>(4) उप निदेशक(प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल</li> </ul> <p>समूह -‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल</li> <li>(2) संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली</li> <li>(3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन</li> <li>(4) उप निदेशक(प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल-सदस्य।</li> </ul>	लागू नहीं होता। <ul style="list-style-type: none"> <li>- अध्यक्ष;</li> <li>- सदस्य;</li> <li>- सदस्य;</li> <li>-सदस्य।</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- अध्यक्ष;</li> <li>- सदस्य;</li> <li>- सदस्य;</li> </ul>

[ए.11018/66/2021-एमएच II]

(गणेश कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार